न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 117/2023
जीसीएमएस नम्बर 2023/243

निर्णय दिनांक 22.10.2024

गोपीराम उर्फ गणपतराम पुत्र खींवरीराम जाति जाट निवासी रीड़ी तहसील0 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री पूनमचन्द मारू प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत हैं कि वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 839 तादादी 5.3100 हैक्टेयर वाकेरोही रीडी व खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 2.7800 हैक्टेयर वाकेरोही बाड़ेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। वादी को अपने घर, परिवार व रिश्तेदारी में गोपीराम व गणपतराम दोनों ही नामो से जाना व पुकारा जाता है। लेकिन वादी का वास्तविक एवं सही नाम गोपीराम हैं। वादी की उक्त खसरान की भूमि पहले वादी के पिता के नाम से दर्ज चली आ रही थी, वादी के पिता के देहान्त के पश्चात् विरास्तन में वादी को प्राप्त हुई हैं। वादी के नाम जब उपरोक्त खसरान की भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ, तब हल्का पटवारी ने सहबन से गोपीराम के स्थान पर गणपतराम दर्ज कर दिया। जो कि सन् 1973 से आजतक वादी के नाम की खातेदारी भूमि में बराबर चला आ रहा हैं। जिससे वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी को अपनी खातेदारी की भूमि पर ऋण लेने या अन्य योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होना पड़ रहा हैं। वर्तमान में उक्त खसरान की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के यहां पर रहन चली आ रही है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 बैंक वादी पर बराबर दबाव बना रहा है, कि या तो अपनी खातेदारी की उक्त खसरान की भूमि में अपना नाम सही करवाओं या फिर सम्पूर्ण ऋण राशि बैंक में जमा करवा दो, क्योंकि आपके राजस्व रिकार्ड व आपके नाम की आईडी अलग—अलग दर्ज हैं। इसलिए हम आपका ऋण चालू रखने में असमर्थ हैं। वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का वृद्ध व्यक्ति है, जिसे अपने घर, परिवार, समाज व गांव में गणपतराम के नाम से जाना व पुकारा जाता है व वादी के पिता की मृत्युपंरात विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का बोलते नाम गणपतराम दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड व पैन कार्ड आदि में वादी का नाम गोपीराम अंकित चला आ रहा है। यानि वादी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम गोपीराम है। वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही गोपीराम रहा है, जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाने का अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम गोपीराम चला आ रहा है, केवल राजस्व रिकार्ड में गणपतराम अंकित [illegible] है। वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में गोपीराम अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की [illegible] प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:57:07 IST
Reason: SelfAttested

समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में गोपीराम पुत्र खिंवसीराम जाट के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, वर्णित खसरान भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है, इसलिए वादी उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम गोपीराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरान भूमि में वादी का गलत नाम गणपतराम अंकित होने के कारण वादी को कई प्रकार की परेशानियां पैदा हो रही है तथा सरकारी लाभ से वंचित हो रहा है। वादगत खेतों में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत वादी ने दिनांक 14.08.2023 को प्रतिवादी सं. 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम गोपीराम है, जबकि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम गणपतराम अंकित कर दिया गया है, जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात मेरा सही नाम गोपीराम अंकित चला आ रहा है, उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में मेरा सही नाम गोपीराम दर्ज किया जावें, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेना पड़ेगा, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में सही नाम गोपीराम दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 839 तादादी 5.3100 हैक्टेयर वाकेरोही रीड़ी व खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 2.7800 हैक्टेयर वाकेरोही बाड़ेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादी का नाम गणपतराम गलत अंकित चला आ रहा है, जिसकी दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी पर प्रतिवादी संख्या 2 के यहां रहन रखकर ऋण ले रखा है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 को दावा में आवश्यक पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी संख्या 2 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है, दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी. सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी । यानि वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही मौजा रीड़ी व बाड़ेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनवायी का श्रीमान्जी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 को यह आदेशित किया जावें कि वो वादगत वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 839 तादादी 5.3100 हैक्टेयर वाकेरोही रीडी व खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 2.7800 हैक्टेयर वाकेरोही बाड़ेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गणपतराम पुत्र खिंवसीराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम गोपीराम पुत्र खिंवसीराम घोषणा किया जावें व उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 से करवाई जावें ।

(ख) कि वादगत वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 839 तादादी 5.3100 हैक्टेयर वाकेरोही रीड़ी व खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 2.7800 हैक्टेयर वाकेरोही बाड़ेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे [illegible] नाम गणपतराम की जगह गोपीराम

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:57:07 IST
Reason: SelfAttested

अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 से करवायी जावें ।

ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकारराज उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 839 तादादी 5.3100 हैक्टेयर वाकेरोही रीडी व खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 2.7800 हैक्टेयर वाकेरोही बाड़ेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गणपतराम पुत्र खिंवसीराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम गोपीराम पुत्र खिंवसीराम घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किए जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:57:07 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

ठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

गोपीराम उर्फ गणपतराम पुत्र खींवसीराम जाति जाट निवासी रीड़ी तहसील0 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 117/2023
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 22.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता पूनमचन्द मारू व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 839 तादादी 5.3100 हैक्टेयर वाकेरोही रीडी व खेत खसरा नम्बर 37 तादादी 2.7800 हैक्टेयर वाकेरोही बाड़ेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गणपतराम पुत्र खिंवसीराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम गोपीराम पुत्र खिंवसीराम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किए जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 22 माह 10 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़

(उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:57:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़

(उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर)